बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0ः– 0612–2217956
फैक्सः– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेलः– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 20 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

आज दिनांक 20.04.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तृतीय चरण के लिए स्क्रूटनी की तिथि नियत थी। इसमें पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं खगड़िया) शामिल हैं। जिनके लिए स्क्रूटनी के बाद वस्तुस्थिति इस प्रकार है। झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल सत्रह (17) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद दस (10) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। सुपौल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बीस (20) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद पन्द्रह (15) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से उनतीस (29) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद नौ (09) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से पन्द्रह (15) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद आठ (08) अभ्यर्थी चुनाव में हैं। खगड़िया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से पन्द्रह (15) अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था स्क्रूटनी के बाद बारह (12) अभ्यर्थी चुनाव में हैं।

ज्ञातव्य है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के चौथे चरण में पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर–अ0जा0, बेगूसराय एवं मुंगेर) के लिए आज दिनांक 20.04.2024 को नामांकन का तीसरा दिन था। उक्त पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामनिर्देशन की स्थिति निम्नवत् हैः–

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	दल सम्बद्धता
दरभंगा	01	सिया लखन यादव	ओपन पीपुल्स पार्टी
	02	अशोक कुमार दास	अखिल भारतीय परिवार पार्टी
उजियारपुर	–	शून्य	शून्य
समस्तीपुर–अ0जा0	–	शून्य	शून्य
बेगूसराय	–	शून्य	शून्य
मुंगेर	01	राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	जनता दल (युनायटेड)

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) केस प्रतिवेदित है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में क्रमेण भागलपुर जिलांतर्गत एक (01), मधेपुरा जिलांतर्गत एक (01) एवं मधुबनी जिलांतर्गत एक (01) केस प्रतिवेदित है अर्थात् कुल तीन (03) केस राज्य में प्रतिवेदित हैं तथा तदनुसार तीन (03) एफआईआर दर्ज हैं। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में सात (07) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), मधुबनी जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत तीन (03) एवं सहरसा जिलांतर्गत दो (02)। इस संदर्भ में छः (06) एफआईआर दर्ज हैं।

पुनः आदर्श आचार संहिता के तहत सम्पत्ति विरूपण के संदर्भ में सरकारी सम्पत्ति के तहत सात (07), लोक सम्पत्ति के तहत एक (01) तथा निजी सम्पत्ति के तहत छः (06) मामले प्रतिवेदित हैं।

दिनांक 19.04.2024 को कुल **₹0.15000**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–17212.55(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹27.73862**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹6.18880**(लाख) रूपये मूल्य के 144537.09(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹105.41548**(लाख) रूपये मूल्य की 91853.40 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹139.49290**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।